सप्तदश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 06 अग्रहायण, 1946 (श०)
27 नवम्बर, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 08

(1)	ग्रामीण विकास विभाग	02
(2)	ग्रामीण कार्य विभाग	01
(3)	पथ निर्माण विभाग	01
(4)	श्रम संसाधन विभाग	01
(5)	पंचायती राज विभाग	02
(6)	जल संसाधन विभाग	01
	कुल योग —	08

सड़क का निर्माण

11. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य में कुल 1.18 लाख किलो मीटर ग्रामीण सड़क है जिसमें 10 साल पहले बनी करीब 30 हजार किलो मीटर सड़क है जो टूट चुकी है तथा 65 हजार किलो मीटर सड़क के अभी मेन्टेनेंस अवधि (डिफेक्ट) लायबिलिटी पीरीएड में रहते हुये भी एजेन्सियों द्वारा मेन्टेनेन्स का कार्य नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के टूटी हुई 30 हजार किलो मीटर सड़क बनाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कूड़ा उठाव हेतु रिक्शा खरीदना

'अ'-12. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 जनवरी, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''कचरा उठाव के खरीदे गये 14879 रिक्शा खराब'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के गाँवों में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा उठाव के लिये 78560 पैडल व 5846 ई-रिक्शा की खरीदारी वर्ष 2023 में की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि गुणवत्तापूर्ण खरीदारी नहीं होने के कारण 17.7 प्रतिशत पैंडल एवं 21 प्रतिशत ई-रिक्शा जनवरी, 2024 में ही खराब होने एवं कुछ जिलों में रिक्शा खरीदारी के बावजूद इस्तेमाल नहीं होने तथा 12 से अधिक जिलों में पैंडल रिक्शा की खरीदारी अभीतक नहीं होने के कारण कचरा उठाव बंद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त खरीदे गये रिक्शा की जाँच कराने एवं जिन जिलों में रिक्शा की खरीदारी नहीं हुई है वहाँ खरीदारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

13. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखंडों में पंचायत समिति संसाधन केन्द्र निर्माण हेतु पंचायती राज विभाग के अनुश्रवण पदाधिकारी के पत्रांक 5प/प0रा0वि0आ0-11-01/2022/45(स्वी0) पं0रा0, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 द्वारा एक करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति दी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग के उदासीनता एवं उचित मार्गदर्शन नहीं दिये जाने के कारण अभीतक किसी भी प्रखंड में पंचायत समिति संसाधन केन्द्र का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सभी प्रखंडों में पंचायत समिति संसाधन केन्द्र का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वर्तमान में विभाग द्वारा किसी भी प्रखंड में पंचायत समिति संसाधन केन्द्र के निर्माण कराने का प्रस्ताव नहीं है ।

(3) उपरोक्त खंड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

नोट--'अ'-नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3517, दिनांक 15 नवम्बर, 2024 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित ।

दूषित जल को गंगा में बहाने पर रोक

14. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "आरा से कटिहार तक 156 उद्योग गंगा को कर रहे मैली" के आलोक में क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आरा से कटिहार तक 156 उद्योग सहित लखीसराय, बेगूसराय बरौनी एवं अन्य जिलों के उद्योगों के कारण गंगा नदी के दूषित जल से मैली हो रही है इसका खुलासा आई0 आई0 टी0, बी0 एच0 यू0 और एन0 आई0 टी0 सहित देश के छः प्रतिष्ठित संस्थाओं के सर्वे कराने के बाद किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थानों ने संबंधित जिलों के सभी जिला पदाधिकारी को सीधे गंगा नदी और उप-वितरणी में दूषित जल नहीं बहाने का निदेश दिया है, लेकिन आजतक उद्योगों के बेकार पानी को गंगा नदी में निर्बाध रूप से बहाया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के उद्योग के बेकार पानी को गंगा नदी में बहाने से रोकने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवेदन स्वीकार करना

15. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य के 22 फीसदी कामगारों का नहो हो पा रहा है निबंधन" के आलोक में क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला सहित राज्य में लगभग 22 फीसदी कामगारों का निबंधन मानक अनुरूप नहीं रहने के कारण विभाग के अधिकारी आवेदन अस्वीकृत कर दे रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक लाख 90 हजार 489 कामगारों ने आवेदन दिये उसमें 42 हजार 365 आवेदन विभागीय पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में किये गये 1830 आवेदन के विरुद्ध 341 आवेदन ही स्वीकृत किये गये ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके निबंधन संबंधी आवेदनों को स्वीकार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 तक) में पूर्णियाँ जिला सहित राज्य में कुल 2,16,776 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 57,719 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं ।

निबंधन की अर्हता--वैसे निर्माण श्रमिक जो 18 वर्ष की आयु के हों लेकिन 60 वर्ष पूर्ण नहीं किये हों, का बोर्ड में निबंधन करने का प्रावधान है । बोर्ड में निबंधन हेतु (i) आधार कार्ड (ii) बैंक पासबुक (iii) रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (iv) आवेदन की तिथि से एक वर्ष पूर्व में नियोजक द्वारा निर्गत 90 दिन कार्य करने का प्रमाण-पत्र अथवा उक्त अवधि में 90 दिनों के कार्य करने से संबंधित स्वघोषणा-पत्र तथा विहित शुल्क रुपया 50 (रुपया 20 निबंधन शुल्क तथा रुपया 30 अंशदान शुल्क 5 वर्ष के लिये) भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन (पोर्टल www.bocw.bihar.gov.in) कर सकते हैं । निबंधन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है ।

निर्माण श्रमिक जिनका निबंधन हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, वे 30 दिनों के अंदर अपने क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त के समक्ष अपील कर सकते हैं । सहायक श्रमायुक्त के आदेश का अनुपालन निबंधन पदाधिकारी के लिये बाध्यकारी होगा ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 तक) में राज्य के सभी जिलों में कुल 2,16,776 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 57,719 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं ।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2024-25 (दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 तक) में पूर्णियाँ जिलान्तर्गत 2267 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 1750 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है ।

(4) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

भवन निर्माण करना

16. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2012 से 2016 तक राज्य में 4,91,990 आवास का निर्माण होना था जिसमें अभीतक मात्र 3,65,627 आवास का ही निर्माण हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक 1,26,363 आवास का निर्माण पेंडिंग है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन्दिरा आवास योजना के तहत पेंडिंग पड़े सभी आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित कर कबतक आवास निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । राज्य में इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में कुल 18 लाख 03 हजार 871 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया था, जिन्हें पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था । अबतक 17 लाख 02 हजार 167 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । वर्तमान में 1 लाख 1 हजार 704 आवास अपूर्ण है ।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक M-13015/03/2017-RH(A/C) Meeting, दिनांक 20 अगस्त, 2018 के अनुसार जिन लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है, उनकी ही आवास का अग्रेतर किस्त का भुगतान करते हुये पूर्ण कराया जाना है ।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण स्वयं किया जाता है । सरकार द्वारा लाभुकों को निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने के पश्चात् उनके आवासों का निरीक्षण कर अग्रेतर किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत राज्य नोडल खाता में राशि समाप्त हो जाने तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण राज्य कोष से 75 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी करते हुये इस वित्तीय वर्ष में 19 हजार 620 आवासों को पूर्ण कराया गया है । राज्य कोष से निकासी की गई 75 करोड़ रुपये में से केन्द्रांश मद की अनुमान्य 45 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया गया है ।

योजना अन्तर्गत वैसे लाभुक जो सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें उजला नोटिस, लाल नोटिस निर्गत किया जाता है । इसके बाद भी आवास निर्माण पूर्ण नहीं करने पर राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाती है ।

अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु विभाग स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग सहित अन्य माध्यमों से नियमित अनुश्रवण किया जाता है । सरकार सभी अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु कृतसंकल्पित है ।

सड़क का चौड़ीकरण

17. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "69 सड़क परियोजनाओं को वन विभाग की अनुमति नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की 69 सड़क परियोजनाओं के चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दे रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण उक्त सड़कों पर सुगम वाहन परिचालन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सड़कों के चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य हेतु कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में 69 परियोजनाओं का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक शुल्क/राशि जमा करते हुये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन पथ निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है । अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की जा रही है ।

उक्त सड़कों पर सुगम वाहन परिचालन में कोई कठिनाई नहीं है ।

मुकदमों का निष्पादन

18. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक "सूबे को ग्राम कचहरियों में 14 हजार से अधिक मुकदमे लम्बित" के आलोक में क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की ग्राम कचहरियों में 14 हजार से अधिक मुकदमे लम्बित है, जबकि विभाग द्वारा शत-प्रतिशत केस निबटाने का निर्देश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी मुकदमे वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के शामिल है, जिसमें 8364 दीवानी मुकदमे और 6413 फौजदारी मुकदमे लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य की ग्राम कचहरियों में लम्बित मुकदमों को शत-प्रतिशत कबतक निबटारा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत अवधि के दौरान कुल 130868 दीवानी मामले एवं कुल 109118 फौजदारी मामले दायर हुये । जिसका निष्पादन प्रतिशत क्रमशः 93.69 एवं 94.18 प्रतिशत है । लम्बित मामलों के अनुश्रवण एवं निष्पादन को और बेहतर बनाने हेतु सरकार द्वारा ई-ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारम्भ किया गया है । इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी ग्राम कचहरियों में दायर दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निष्पादन किया जायेगा एवं विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा ।

(3) उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

पटना :
दिनांक 27 नवम्बर, 2024 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 48(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024